तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर अहका हुक्म व में ज
	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा विविध-वाद ओम चीता बनाम भगवानीलाल वगैरह प्र० 15/19	

02.07.2019

पत्रावली पैश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन व परिक्षण किया गया। विपक्षीगण संख्या 02, 10, 11 को छोडकर शेष समस्त पक्षकारान विपक्षीगण के सम्मन/नोटस लोटकर बाद तामील प्राप्त। लौटकर प्राप्त तामील रिपोट पर विपक्षी क्रम 02, 10, 11 का फौत होना अंकित आया है। यानि मृतकों को विपक्षीगण क्रम 07, 08 के स्थान संयोजित कर, न्यायालय को अन्धेरे में रखते हुए, वादी ने यह वादपत्र न्यायिक दृष्टि से दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है। जो कत्ई क्षम्य योग्य नही है। वादी द्वारा कारित त्रूटी पत्रावली को देखने से सिद्ध होती है। फिर भी वादी को इस कारित भूल को सुधार के अर्थात प्रकरण में आवश्यक पूर्ति हेतु दो मर्तबा अवसर दिये जा चुके है, किन्तु वादी इस विषयक गंभीर नही है।

अतः वादी का वादपत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)